रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 710] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2016/आश्विन 14, 1938
No. 710] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2016/ASVINA 14, 1938

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 958(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केंद्रीय) नियमावली, 1950 में आगे संशोधन हेतु कुछेक निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केंद्र सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथापेक्षित, उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियम पर, भारत का राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई, की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिनों के पश्चात विचार किया जाएगा।

आपत्तियां तथा सुझाव, यदि कोई हों, श्री अजय मलिक, अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किए जाएं।

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से जो आपत्तियां या सुझाव प्राप्त होंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केंद्रीय) संशोधन नियमावली, 2016 कहा जाए ।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली, 1950 में :-

(क) नियम 2 में, उप नियम, 2(क) के बाद निम्नलिखित उप नियम अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2ख) बीमाकृत महिला से अभिप्रेत है, महिला जो कि कर्मचारी है या थी, जिसके संबंध में इस अधिनिमय के अंतर्गत अंशदान देय है या था तथा जो इस कारण से अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त हितलाभों में से किसी की भी हकदार है और शामिल की जाएगी –

(i) अधिष्ठात्री (कमिशनिंग) मां जो जैविक माँ के रूप में बच्चे की चाह रखती है तथा जो भ्रूण को किसी अन्य महिला में प्रत्यारोपित करवाना चाहती है;

(ii) महिला जो तीन माह की आयु तक के बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लेती है;

(ख) नियम 56 में, उप नियम (2) में –

(i) "बारह सप्ताह जिसके छह सप्ताह से अनधिक" शब्दों को "छब्बीस सप्ताह जिसके आठ सप्ताह से अनधिक" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) प्रथम परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुकों को अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात् :-

"इसके अतिरिक्त शर्त है कि बीमाकृत महिला बच्चे के जन्म के पश्चात् अधिष्ठात्री (कमिशनिंग) माँ को बच्चा सौंपे जाने अथवा माँ द्वारा गोद लेने, यथास्थिति, की तिथि से बारह सप्ताह के मातृत्व हितलाभ की हकदार होगी।

यह भी शर्त है कि बीमाकृत महिला जिसके दो अथवा दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, बारह सप्ताह जिसके छह सप्ताह से अनधिक प्रसूति की संभावित तिथि से पूर्ववर्ती अवधि के दौरान मातृत्व हितलाभ की हकदार होगी।"

(ग) नियम 56 में, उप नियम (4) को हटाया जाएगा।

[फा. सं. एस-38012/02/2016-सा.सु.-1]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियमावली, संख्या एस.आर.ओ. 212, दिनांक 22 जून, 1950 द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी तथा संख्या सा.का.नि. 598(अ), दिनांक 14 जून, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2016

G.S.R. 958(E).—The following draft of certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, which the Central Government, after consulting the Employees' State Insurance Corporation, proposes to make in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ajay Malik, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001;

The Objections or suggestions, which may be received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2016.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950;—

(a) in rule 2, after sub-rule 2(A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2B). 'Insured woman' means a woman who is or was an employee in respect of whom contribution is or were payable under this Act and who is by reason thereof, entitled to any of the benefits provided under this Act and shall include—

(i) a commissioning mother who as biological mother wishes to have a child and prefers to get embryo implanted in any other woman;

(ii) a woman who legally adopts a child of upto three months of age;

(b) in rule 56 , in sub-rule (2),—

(i) for the words 'twelve weeks of which not more than six weeks', the words 'twenty six weeks of which not more than eight weeks' shall be substituted;

(ii) after the first proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided further that the insured woman shall be entitled to twelve weeks of maternity benefit from the date the child is handed over to the commissioning mother after birth or adopting mother, as the case may be.

Provided also that the insured woman having two or more than two surviving children shall be entitled to receive maternity benefits during a period of twelve weeks of which not more than six weeks shall precede the expected date of confinement.";

(c) in rule 56, sub-rule (4) shall be omitted.

[F. No. S-38012/02/2016-SS-I]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and lastly amended vide number G.S.R. 598(E), dated the 14th June, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.08 12:16:10 +05'30'